15

आपदा प्रबंधन

15.1 पृष्टभूमि

प्राकृतिक आपदाओं के कारण मानवीय बस्तियां प्रायः प्रभावित होती रही हैं, जिससे मानव जीवन नष्ट होता है, भवन और अवसंरचना ध्वस्त करते हैं और जिसका समुदाय पर दूरगामी आर्थिक और सामाजिक प्रभाव पड़ता है । देश को प्रभावित करने वाली सभी प्राकृतिक आपदाओं में, सबसे ज्यादा नदी में बाढ़ है और सबसे अधिक नुकसान देयी है ।

यू.एन.सी.एच.एस. (हेबिटेट) और एच.यू.डी.सी.ओ. (हुडको) द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, औसतन, प्राकृतिक आपदाओं से प्रतिवर्ष 3,663 के ऊपर मानव जीवन नष्ट होते हैं, 14.2 लाख हैक्टेयर की फसल क्षेत्र प्रभावित होते हैं और 26.3 लाख मकान ध्वस्त होते हैं। पिछले आंकड़े दर्शाते हैं कि मकानों और भवनों के गिरने से लगभग 80% मानव जीवन की हानि हुई है।

15.2 प्राकृतिक संकटों (hazards) के कारण क्षेत्र में नुकसान आशंकित क्षेत्र (vulnerability) और खतरा आंकलन (risk assessment)

भारत की नुकसान आशंकित क्षेत्र वाली एटलस सूचित करते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र निम्न के अन्दर पड़ता है:

- i) उच्च क्षति पहुंचने वाले खतरे वाले जोन (एम.एस.के.VIII)-भूंकप के संदर्भ में
- ii) अत्यंत उच्च क्षित पहुंचने वाले खतरे वाले जोन-ब (V_a -50 मी./से.)-हवा और तूफान संकट के संदर्भ में लिए और
- iii) बाढ से जिम्मेदार क्षेत्र

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के क्षेत्रीय विकास/निर्माण में उपरोक्त प्राकृतिक और मानव-निर्मित संकटों को ध्यान में रखतें हुए योजनाबद्ध करने की जरूरत है ।

दिल्ली और इसके आस-पास के क्षेत्रों में भूंकप उत्पत्ति निम्नलिखित विशिष्ट संरचनात्मक आकृतियों की वजह से है:

- क) सोहना भ्रंश
- ख) अरावली भ्रंश
- ग) सिंधु-गंगा बेसिन में छुपा मुरादाबाद भ्रंश
- घ) सोनीपत-दिल्ली-सोहना भ्रंश
- ड़) अरावली का मिलन स्थल और सोहना भ्रंश
- च) दिल्ली-हरिद्वार रिज़

रिक्टर माप पर चार से कम तीव्रता वाले भूंकप राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अवस्थित 14 अधि-केन्द्र से उत्पन्न हैं और मानचित्र 15.1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र: भूकंप-संरचनात्मक आकृतियों में दिखाया गया है । इसके अलावा, अन्य कई समान्नतर भ्रंश हैं जिनका अनुमान भू-आकृतिकीय अध्ययनों से किया है । दिल्ली और इसके पड़ोसी क्षेत्रों में भूंकप इन भ्रंश के साथ संरचनात्मक गतिविधियों से संबंधित हैं ।



DISASTER MANAGEMENT

15.1 BACKGROUND

Human settlements are frequently affected by natural disasters, which take heavy toll on human lives, destroy buildings and infrastructure and have far reaching economic and social consequences for the community. Among all the natural disasters that the country faces, river floods are the most frequent and often most devastating.

According to a Study undertaken by UNCHS (Habitat) and HUDCO, on an average, natural disasters take a toll of over 3,663 human lives, affect 14.2 lakhs hectares crop area and damage 26.3 lakhs houses annually. Past statistics reveal that about 80% of human lives were lost, due to collapse of houses and buildings.

15.2 VULNERABILITY AND RISK ASSESSMENT OF THE REGION DUE TO NATURAL HAZARDS

The Vulnerability Atlas of India indicates that the National Capital Region falls within:

- i) High damage risk zone (MSK VIII)-with regard to earthquake
- ii) Very high damage risk zone B ($V_b = 50 \text{m/s}$)-with regards to wind and cyclone hazard and
- iii) Areas liable to floods

Regional development/construction in NCR need to be planned taking care of the above natural and manmade hazards.

The occurrence of earthquakes in and around Delhi is attributed to the following prominent tectonic features:

- a) The Sohna fault
- b) Aravalli fault
- c) The hidden Moradabad fault in the Indo-Gangetic basin
- d) Sonepat-Delhi-Sohna fault
- e) Junction of Aravalli and Sohna fault
- f) Delhi-Haridwar ridge

Earthquakes of intensity lower than four on the Richter scale have originated from 14 epi-centres located in the NCR and shown on Map 15.1 National Capital Region: Seismo-tectonic Features. Besides, there are several other parallel faults inferred from geomorphological studies. Earthquake in Delhi and neighbourhood areas is related to tectonic activity along these faults.

निम्न सारणी 15.1 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रिक्टर माप पर 5.0 और उस से अधिक तीव्रता वाले भूंकपों की सूची दी गयी है।

सारणी 15.1: रिक्टर माप पर 5 से अधिक तीव्रता वाले भूंकप

तिथि	उद्गम का समय (जी.एम.टी.)	अक्षांश (⁰उत्तर)	देशान्तर (⁰ पूर्व)	फोकल गहराई (कि.मी.)	परिमाण
1	2	3	4	5	6
1720, 15 जुलाई	-	28 .40	77.10	-	6.5
1803, 1 सितंबर	-	27.00	77.00	-	6.8
1809	-	30.00	79.00	=	6.0
1842, 16 जनवरी	-	27.00	78.00	-	5.5
1842, 5 मार्च	-	30.00	78.00	-	5.5
1956, 10 अक्टूबर	15:31:36	28.20	77.70	-	6.7
1960, 27 अगस्त	15:58:592	28.20	77.40	109.0	6.0
1966, 15 अगस्त	02:15:28	28.67	78.93	5.0	5.6

स्रोतः आई.एम.डी. सूची

इसी तरह, क्षेत्र बाढ़ प्रवृत्त क्षेत्र में पड़ता है और मानसून के दिनों में कई क्षेत्रों का जलमग्न हो जाना साधारण लक्षण है । गंगा और यमुना के उप-बेसिन में बाढ़ के पिछले इतिहास के अनुसार, उत्तर प्रदेश के मेरठ, गाजियाबाद और बुलंदशहर तथा हरियाणा के रोहतक, पानीपत और सोनीपत जिले प्रभावित होते हैं ।

भूकंप

1720 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और इसके आस-पास के क्षेत्रों में रिक्टर परिमाण 5.5 से 6.8 पर सात भूंकप आये हैं। दो प्रमुख लीनियामेंन्ट, नामतः दिल्ली-हरिद्वार रिज़ और दिल्ली-मुरादाबाद भ्रंश, इस क्षेत्र से होकर गुजरती है, और दोनों में 6.5 से 6.7 परिमाण तथा 30 किलोमीटर सामान्य गहराई वाले तक भूंकप उत्पन्न करने की क्षमता है। बचाव-सहित-तैयारी योजना बनाते समय इस तरह की क्षमता वाले भूंकप के प्रभावों पर विचार करना बुद्धिमानी होगी।

भारतीय मानक आइ.एस. 1983 के भूकंपीय जोन मानिचत्र के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भूकंपीय जोन IV में आता है। इसके कारण यह क्षेत्र एम.एस.के. तीव्रता "VIII" श्रेणी में रखा गया है और 'उच्च खतरे वाले जोन में' माना गया है। इस तीव्रता वाले भूकंप से गंभीर नुकसान हो सकते है जिसमें से कुछ निम्निलखित है:

- प्रकार अ-ग्रामीण ढांचे, पत्थर, बिना पकी ईंटें, मिटटी इत्यादि से बने मकान ध्वस्त हो सकते हैं जिसमें दीवारों में दरार आ सकती है, भवन आंशिक रूप से ढह सकते हैं, मकान के आपस में जुड़े भाग ढीले हो सकते हैं और अन्दर की दीवार ढह सकती है ।
- प्रकार ब-मामूली ईटों, बड़े ब्लाक, प्राकृतिक पत्थर से इमारतों का निर्माण और पूर्वनिर्मित (प्रीफेब्रीकेटिड) तकनीकी से बने भवनों को भारी नुकसान हो सकता है जिसमें दीवारों में बड़ी और गहरी दरारें पड़ सकती हैं।
- प्रकार स के अधिकांश भवन अर्थात् आर.सी.सी. निर्मित भवनों की दीवारों में हल्की दरारें पड़ सकती हैं, प्लास्टर के बड़े-बड़े टुकड़े गिर सकते हैं, टाइलें सरक सकती हैं, चिमनियों में दरार/गिर सकती हैं इत्यादि ।
- लोगों में भय और दहशत पैदा हो सकती है, पेड की शाख आदि गिर सकती हैं ।

सारणी 15.2 में रिक्टर माप 6.5 वाले तीन भूकंपों में एम.एस.के. VIII और VII से क्षति पहुंचाने तीव्रता वाले क्षेत्र दिखाए गए हैं।

सारणी 15.2: 6.5 परिमाण के भूकंप से प्रभावित क्षेत्र (वर्ग किलोमीटर)

भूकंप	परिमाण	तीव्रता-VIII	तीव्रता–VII	कुल VIII और VII के अधीन
1	2	3	4	5
कोयना, 1967	6.5	130	430	560
उत्तरकाशी, 1991	6.6	700	1,300	2,000
किलारी, 1993	6.3	420	930	1,350

Table 15.1 below provides the list of earthquakes of 5.0 intensity and higher on Richter scale in the National Capital Region.

Table 15.1: Earthquake with Intensity more than 5 on Richter scale

Date	Time of Origin (GMT)	Latitude (⁰ N)	Longitude (⁰ E)	Focal Depth (Km)	Magnitude
1	2	3	4	5	6
1720, 15 th July	-	28.40	77.10	-	6.5
1803, 1 st September	-	27.00	77.00	-	6.8
1809	+	30.00	79.00	-	6.0
1842, 16 th January	-	27.00	78.00	-	5.5
1842, 5 th March	-	30.00	78.00	-	5.5
1956, 10 th October	15:31:36	28.20	77.70	-	6.7
1960, 27 th August	15:58:592	28.20	77.40	109.0	6.0
1966, 15 th August	02:15:28	28.67	78.93	5.0	5.6

Source: IMD Catalogue

Similarly, the region lies in the flood prone area and inundation during monsoon is a regular feature. As per the past history of the floods in the Ganga and Yamuna sub-basin, the districts affected are Meerut, Ghaziabad & Bulandshahr in U.P. and Rohtak, Panipat & Sonepat in Haryana.

Earthquake

Seven earthquakes of Richter magnitude 5.5 to 6.8 are known to have occurred in NCR and its surrounding areas since 1720 AD. Two major lineaments, namely Delhi-Hardwar ridge and Delhi-Moradabad fault, pass through the territory, both having potential of generating earthquakes of magnitude up to 6.5 to 6.7 and normal depth of 30 kms. It will be prudent to consider the effects of such a potential earthquake for developing a prevention-cum-preparedness plan.

NCR region falls in seismic zone IV as per seismic zone map of Indian Standard IS 1893. This makes the area liable to MSK intensity of "VIII" and is considered as High Risk Zone. Such intensity may cause severe damages some of which are listed below:

- Type A-Houses constructed with stone, rural structures, un-burnt bricks, clay etc. may suffer destruction causing gaps in walls, collapse of parts of buildings, loosening of cohesion of parts of buildings and collapse of inner walls.
- Type B-Buildings construction with ordinary bricks, large blocks, natural stone and prefabricated type buildings may suffer heavy damage causing large & deep cracks in walls.
- Most buildings of Type C i.e., RCC buildings may have small cracks in walls, fall of large pieces of plaster, slipping off tiles, cracks/fall in chimneys etc.
- Fright and panic is caused among people, breaking off of branches of trees etc. takes place.


The areas subjected to damaging intensities MSK VIII and VII in three earthquakes on Richter scale 6.5 are as given in Table 15.2.

Table 15.2: Areas Affected under Earthquake of Magnitude 6.5 (in sq kms)

Earthquake	Magnitude	I=VIII	I=VII	Total under VII & VIII
1	2	3	4	5
Koyna, 1967	6.5	130	430	560
Uttarkashi, 1991	6.6	700	1300	2000
Killari, 1993	6.3	420	930	1350

NATIONAL CAPITAL REGION SEISMO-TECTONIC FEATURES








राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सीस्मो - टेक्टोनिक आकृतियां





6.5 परिमाण (मेगनिटयूड़) वाले पिछले भूकंपों से प्रभावित क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए, यह अपेक्षित है कि अगर ऐसी तीव्रता के भूंकप रा.रा.क्षे. में आये तो समग्र क्षेत्र तीव्र क्षति के साथ बुरी तरह प्रभावित होगा और अगर अभि-केन्द्र की अवस्थित के सापेक्ष में केन्द्रीय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का 50% से अधिक भाग प्रभावित होगा । इसलिए, संभावित क्षति परिदृश्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भूंकप से अत्यधिक प्रवृत्त है । संपूर्ण शहरी विकास को "VII" तीव्रता पर उत्पत्ति की संभावना के प्रतिकूल में सुरक्षा की जांच होनी चाहिए, तथा जहां ज़रूरी लगे वहां भवनों और अवसंरचना का आवश्यक भूकंपीय प्रतिरोध के संदर्भ से उन्नयन किया जाना चाहिए ।

बाढ

केन्द्रीय जल आयोग द्वारा तैयार किए गए भारत के बाढ़ मानचित्र के अनुसार, यह देखा गया है कि केवल दक्षिण-पूर्व दिल्ली की ओर एक छोटा भाग (लगभग 1.7% या 25 वर्ग किलोमीटर) बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से असुस्क्षित है और उत्तर-पूर्वी हिस्से का पर्याप्त भाग (लगभग 5% या 74 वर्ग किलोमीटर) जो मिट्टी के पुश्ते से सुरक्षित है। लगभग प्रत्येक वर्ष यमुना का जल स्तर खतरे के निशान को पार कर जाता है और निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोग, जो 'बंध' (पुश्ता) के पीछे हैं को छोड़कर बंध के ऊपर या सड़क के किनारे ऊंचाई पर शरण के लिए मज़बूर होते हैं। यमुना के प्रवाह और संभावित जल स्तर के बारे में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा पहले ही भविष्यवाणी कर दी जाती है जो कि लगभग 130 किलोमीटर उपरिनद पर ताजेवाला बंध के उपरिनद हाइड्रोलाजिकल और हाइड्रालिक के अवलोकन के जिए जहां यमुना से दो नहरें एक इसके बाएं किनारे (डब्ल्यू जे.सी.) और दूसरी दायें किनारे (इ.जे.सी.) निकलती हैं। चूंकि ताजेवाला बैराज/हेडवर्कस और इन दोनों नहरों की सीमित क्षमता है, यमुना और इसकी सहायक निदयों जलग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षण होने की घटना से नदी के अनुप्रवाह में बाढ़ आने से तटबंधों के ऊपर से बहने और समीपवर्ती निचले क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। नालें जो नदी में अतिरिक्त जल बहाने के लिए अन्यथा बनी है, में पानी का प्रवाह उल्टा होने से क्षेत्र के भीतरी भागों में भी काफी नुकसान होता है। इसके अलावा, क्षेत्र के भीतर भारी वर्षण के कारण गिलयों और मुहल्लों में बड़े पैमाने पर स्थानीय बाढ़ आ जाती है।

तेज हवाएं

जहां तक वायु का संबंध है, आई.एस. 875 (भाग 3) के अनुसार संपूर्ण क्षेत्र में डिज़ाइन हवा गित 47 मीटर प्रित सेकंड (169 कि.मी. प्रित घंटा) है जो कि कभी-कभी 'आंधी' का रूप ले लेती है । इस क्षेत्र में कोई भी भवन-निर्माण उपरोक्त वायु गित को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए । ऐसी अवस्था में, घास फूस, पतली शीट इत्यादि से बने घर तथा ढलवां छतें जो घास फूस, टाइल्स, ए.सी. शीट, और सी.जी.आई. शीट से बनी है, उन्हें अगर ठीक तरह से जोड़ा और एकीकृत नहीं गया तो, क्षिति पहुंच सकती है । क्षेत्र में 'आंधी' से होने वाली क्षित स्थानीय होती है और इसे 'आपदा' की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता ।

जिस तरह जनगणना 1991 के आंकड़ों का उपयोग करके, विभिन्न राज्यों के लिए नुकसान आशंकित क्षेत्र वाली एटलस में खतरे वाली नुकसान आशंकित क्षेत्र की सारणियां तैयार की गई हैं उसी तरह जनगणना 2001 के मकानों के प्रकार के आंकड़ों पर आधारित, भिन्न क्षेत्रों के लिए मकानों को वायु संकट से होने वाले ख़तरों का आकलन किया जा सकता है।

इस वायु संकट में बवंडर (Tornado) से होने वाले ख़तरों को नहीं गिना गया है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति, तीव्रता तथा रास्ते के संदर्भ से यह जब-तब होने वाली घटना है और इसे सामान्य ख़तरे के संकट अध्ययनों में शामिल करना अत्यंत मुश्किल है। यह लगभग असंभव है कि किसी तूफान से पूरी दिल्ली या इसका बड़े भाग में इससे एक समय पर प्रभावित होंगे और न ही इस संकट से किसी तरह की आपदा समस्याएं उत्पन्न होने की संभावना है।

अग्नि संकट

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अवस्थित शहर तेजी से बढ़ते जैसे दिल्ली अग्नि संकटों से ख़तरा है, जो कि निम्नलिखित मुख्य कारणों की वजह से है :

- भवन उप-नियमों के एक भाग के रूप में अग्नि सुरक्षा मानकों का कार्यान्वयन न किया जाना ।
- अतिक्रमण, अति भीड-भाड़ और अनियमित वृद्धि से विपत्ति के समय अग्नि शामक यंत्रों का गति तथा समय पर सुगम्यता से न पहुंच पाने को प्रभावित करना ।

Considering the areas affected during past earthquake of M 6.5, it can be expected that such an earthquake occurring in NCR could adversely affect the entire region with damaging intensities and could affect more than 50% of CNCR depending on the location of the epi-centre. Therefore, in terms of probable damage scenario, the National Capital Region is most prone to earthquake. The whole urban development must be checked for safety against an intensity "VII" probability of occurrence, and upgraded for required seismic resistance in buildings and infrastructure as found necessary.

Floods

As per the Flood Atlas of India prepared by Central Water Commission, it is observed that only small portion towards the south-east in Delhi is unprotected flood prone area (about 1.7% or 25 sq kms) and considerable area (about 5% or 74 sq kms) in the north-eastern parts which is protected by earthen embankments. Flood levels in Yamuna cross the danger level almost every year and people living in low lying areas behind the 'bunds' (embankments) are forced to evacuate to the top of the bunds or on road sides at higher elevations. The flow and the expected flood levels of the river Yamuna at Delhi is forecast by the Central Water Commission through hydrological and hydraulic observations on the upstream, particularly taken at Tajewala headworks about 130 km upstream from where two canals take off from the Yamuna, one on its left bank (WJC) and the other on the right bank (EJC). Since the Tajewala Barrage/headworks and the two canals have limited capacity, in the event of heavy precipitation in the catchment area of Yamuna and its tributaries, the river downstream comes in spate, overflowing its banks and flooding the adjoining low lying areas. Also great damage is caused to areas deep inside the region because of the back flow in the drains which is otherwise meant to discharge excess water into the river. In addition, heavy precipitation within the region causes local flooding of streets and localities on a large scale.

High Winds

So far as the wind hazard is concerned, design wind speed in the entire region is 47 m/s (169 km/h) as per IS 875 (Part 3), which could be reached only occasionally in what is called 'Andhi' (wind storm). The structures in this region should be designed keeping in view the above wind speed. In such events, weak houses of thatch, sheets etc. and those with sloping roofs using thatch, tiles, AC sheets and corrugated Galvanized Iron (CGI) sheet roofs, which are not fully anchored and integrated, will suffer damage. The damage occurring in 'Andhis' is again of localized nature and does not result in 'disaster' in the region.

Using the houses type data based on the Census 2001, the risk to the housing stock from the wind hazard could be worked out for different regions similar to the vulnerability risk tables prepared using Census 1991 data in the Vulnerability Atlas of different States.

This wind scenario does not cover the risk of tornado, which is a seldom case in respect of its occurrence, intensity and path, and is extremely difficult to deal with in general hazard risk studies. Also, in any one wind storm, it is unlikely that the whole or a large part of Delhi will be affected at once, and neither is there any possibility of a disastrous consequence from this hazard.

Fire Hazard

Fast growing cities like Delhi located in NCR are threatened by fire hazards, which may be attributed to following main reasons:

- Non-implementation of fire safety norms as part of building bye-laws.
- Encroachment, over crowded and haphazard growth affect the movement and timely approachability of fire tenders in emergency.

- गैर-कानूनी और ढ़ीले-ढ़ाले बिजली के कनेक्शन ।
- बिजली प्रणाली की निम्नस्तरीय तारें लगाना और उन पर अधिक भार डालना ।
- उच्च ज्वलनशीन पदार्थों से निर्मित झुग्गी झोंपिड़ियों और इनमें से कुछ तो अत्यंत जहरीले पदार्थों जैसे प्लास्टिक, पालीथीन शीट, बांस, कमज़ोर लकड़ी आदि से बने हैं जहां अग्नि शामक गाड़ियां के आसानी से पहुंचने की सुविधा नहीं है ।
- गैर-कानुनी भंडारण और खतरनाक वाणिज्यिक गतिविधियां होना ।
- अपर्याप्त पंपिग सुविधाओं से आग बुझाने और नियंत्रित करने में बाधा डालना ।
- स्थानीय निकायों में विशेष अग्नि शमन उपकरणों की अपर्याप्त उपलब्धता विशेषत: बहुमंजिली इमारतों में, जहां इन्हें लगाया जाना एक पूर्वपेक्षित है ।

एन.सी.टी.-दिल्ली उप-क्षेत्र जहां बहु-मुखी गतिविधियां और बढ़ी संख्या में बहु-मंजिली इमारतें हैं, जनसंख्या घनत्व और मिश्रित अधिवास में बढ़ोतरी, अग्नि संकट से बहुत ज्यादा नुकसान आशंकित वाले क्षेत्र हैं । अन्य शहरों जैसे गाजियाबाद, गुड़गांव, नोएडा, अलवर, फरीदाबाद आदि भी अग्नि संकट से नुकसानदेयी आशंकित क्षेत्र हैं क्योंकि यहां तेजी से औद्योगीकरण और बहु-मंजिली इमारतों का विकास हो रहा है ।

इस क्षेत्र में और तेजी से बढ़ रहे शहरों के विभिन्न क्षेत्रों में आग लगने की संभावनाओं का एक व्यापक अध्ययन किया जाना चाहिए और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की भावी योजनाओं में पर्याप्त सुरक्षा का प्रावधान किया जाना चाहिए तथा विद्युत तारों की गुणवत्ता, वायरिंग और वितरण प्रणाली में सुधार किया जाना चाहिए ।

15.3 नीतियां और प्रस्ताव

आपदा प्रबंधन के लिए निम्नलिखित नीतियां और कार्यनीतियां प्रस्तावित है:

- i) आपदा प्रबंधन एक बहु-क्षेत्रीय, बहु-मुखी विषय है, जिसमें बहुत सारे दलों की सम्मिलित है । अतएव, सभी दलों (सरकार/गैर-सरकारी संस्थान/समुदाय) को साथ काम करना चाहिए । आपदा तैयारी, शमन और आपदा प्रत्युत्तर के लिए विभिन्न स्तरों पर उपयुक्त योजना बनाने की जरूरत है । उप-क्षेत्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति (डी.एम.सी.) और जिला स्तर पर जिला आपदा प्रबंधन समिति (डी.डी.एम.सी.) बनायी जानी चाहिए । साथ ही, समितियों की भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों का विवरण उप-क्षेत्रीय योजनाओं में होना चाहिए ।
 - यह भी सुझाव दिया जाता है कि आपदा-उपरांत प्रबंधन योजना भी उप-क्षेत्रीय योजना का एक भाग होना चाहिए । इस उद्देश्य का सहभागी राज्यों और एन.सी.टी.-दिल्ली द्वारा अनुपालन करने के लिए सार और दिशा-निर्देशों का स्पष्टत: परिभाषित रूप से होना चाहिए ।
- ii) जहां बहुत सारी भूमिकाएं निभाने वाले लोग हों वहां क्षमता निर्माण के लिए मानव संसाधन विकास एक महत्वपूर्ण पहलू है । इसके लिए, विभिन्न संगठनों के लोगों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम अनिवार्य है । कार्यशाला, सम्मेलन, अनुसंधान गतिविधियां, इत्यादि समय-समय पर आयोजित किए जाने चाहिए।
 - लोगों को सुग्राही बनाने, कार्मिकों के प्रशिक्षण और न्यूनीकरण उपायों के लिए क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थानों पर आपदा प्रबन्धन केन्द्रों की स्थापना किये जाने चाहिए ।
- iii) सूचना के संग्रहण, भण्डारण, पुनःप्राप्ति और प्रचार के लिए आधुनिकी प्रौद्योगिकी अर्थात् जी.आई.एस., जी.पी.एस., दूर संवेदी, कंप्यूटर मॉडलिगं और विषेशज्ञ प्रणाली, इलेक्ट्रानिक सूचना और प्रबंधन प्रणाली इत्यादि को उपयोग किए

- Illegal and loose electric connections.
- Sub-standard wiring and over loading of electrical system.
- JJ clusters constructed with highly flammable material and some constructed with very toxic materials like plastics, polyethylene sheets, bamboo, soft wood etc. without proper access for fire tenders.
- Illegal storages and hazardous commercial activities.
- Inadequate pumping facilities hamper fire fighting and control of fire.
- Inadequate availability of special fire fighting equipments with local bodies especially for high rise multistoried buildings, where it is a prerequisite.

NCT-Delhi Sub-region with multi-faceted activities and a large number of multi-storied buildings, increased population density and mixed occupancy, is most vulnerable to fire hazard. Other towns such as Ghaziabad, Gurgaon, Noida, Alwar, Faridabad, etc. are also more vulnerable to fire hazard, with increased industrialization and development of multi-storied buildings.

A comprehensive study of the vulnerability due to fire hazards in the region and in different areas of fast growing towns should be taken up and adequate safety provisions be made for future planning of NCR and improvement in the quality of electrical cabling, wiring and distribution systems should be made.

15.3 POLICIES AND PROPOSALS

Following policies and strategies for disaster management are being proposed:

- i) Disaster management is a multi-sectoral, multi-disciplinary subject, which involves many groups. Therefore, all the groups (Government/NGOs/Community) should work together. There is a need to have proper planning at various levels for disaster preparedness, mitigation and response. Disaster Management Committee (DMC) may be formed at Sub- regional level and District Disaster Management Committee (DDMC) at district level. Further, detailing of roles and responsibilities of the Committees should be given in the Sub-regional Plans.
 - It is also suggested that Post-disaster Management Plan should form part of the Sub-regional Plan. The contents and guidelines required to be followed by the participating States and NCT-Delhi for this purpose should be clearly defined.
- ii) Human resource development is an important aspect of capacity building where several players are involved. For this, training programmes are essential for people from various organizations. Organizing workshops, seminars, research activities etc. should be undertaken periodically.
 - Disaster Management Centres may be established at strategic locations in the region for sensitizing people, training of personnel and mitigation measures.
- iii) Efforts need to be made on using state of art technologies viz., GIS, GPS, remote sensing, computer modeling and expert systems, electronic information and management systems etc. for collection,

जाने के प्रयास की जरूरत है । भागीदारी राज्यों में नियंत्रण कक्षों को आधुनिक और अधिक प्रभावी तथा सामुदाय अनुकूल बनाने की ज़रूरत है ।

संकटों की उत्पत्ति, भवनों और अवसंरचना को हुई क्षित तथा विभिन्न सरकारी विभागों, सार्वजानिक और निजी उद्यमों, कृषि व बागवानी तथा क्षेत्र में संबंधित अवसंरचना को हुए आर्थिक नुकसानों, के बारे में विस्तृत आंकड़े एकत्रित किए जाने चाहिए । जनता में जागरकता लाने के लिए इन सूचनाओं का व्यापक रूप से प्रचार किया जाना चाहिए । जिला प्रशासन को भविष्य में आने वाली सभी संभव्य घटनाओं के प्रति तैयार रहना चाहिए ।

दूरवर्ती जगहों तक स्थानीय भाषाओं में चेतावनियों को तेजी से प्रचारित करने की जरूरत के लिए आपदा चेतावनी प्रणाली के जिरये दूरसंचार की व्यवस्था होनी चाहिए । राज्यों और जिला स्तरीय मुख्यालयों में आपदा चेतावनी यंत्रों की व्यवस्था होनी चाहिए ।

iv) प्राकृतिक संकट की दृष्टि से, सुरक्षा पहलू को शामिल करने के लिए वर्तमान भवन उप-नियमों में संशोधन हेतु पूर्ण तकनीकी-विधिक प्रणाली प्रस्तावित की जानी चाहिए ।

भागीदारी राज्यों के संबंधित शहरी और ग्रामीण योजना अधिनियमों, विकास और निगम अधिनियमों की सावधानीपूर्वक जांच कर और प्राकृतिक संकटों से संबंधित सुरक्षा पहलू के आवश्यक प्रावधानों को सिम्मिलित करने के लिए संशोधन किया जाना चाहिए । उप-क्षेत्रों में लागू विकास नियंत्रण नियमों तथा भवन उप-नियमों का संघटक राज्यों को उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाना चाहिए जिसमें प्राकृतिक संकटों से संबंधित सुरक्षा पहलूओं और अग्नि सुरक्षा की व्यवस्था हो । सभी बहु-मंजिली और उच्च-खतरे वाली इमारतों [जैसा भूंकप मैनुअल और राष्ट्रीय भवन-निर्माण कोड (एन.बी.सी.) में परिभाषित] को निश्चित तीव्रता के भूकंप सहने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए बनाया जाना चाहिए ।

सभी राज्यों को स्थानीय जरूरतों और भू-जलवायु दशाओं के अनुरूप राहत मैनुअल और अकाल तैयारी दिशा-निर्देशों की समीक्षा ली जानी चाहिए ।

भूमि उपयोग जोनिंग, संकट प्रतिरोधी भवन निर्माण के पहलुओं को सम्मलित करते हुए उचित दिशा-निर्देश विकसित किए जाने चाहिए । निर्माण केन्द्रों के जरिये बेहतर प्रौद्योगिकी के स्थानान्तरण को प्रभावी बनाया जा सकता है ।

v) भागीदारी राज्यों को अपने उप-क्षेत्रों में प्राकृतिक संकटों की वजह से नुकसान आशंकित वाले क्षेत्र और ख़तरा आकलन करना चाहिए और अपने उप-क्षेत्रीय योजनाओं के एक भाग के रूप में बचाव सिहत सुरक्षा तैयारी योजना को बनाना चाहिए। सार्वजिनक भवनों (जैसे अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थाओं, विद्युत स्टेशनों, अवसंरचनाओं, धरोहर स्मारकों, जीवन रक्षक संरचनाओं और जहां ज्यादा भीड़ की संभावना हो) को निर्दिष्ट तीव्रता वाले भूकंप सहने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए बनाने में प्राथमिकता दी जानी चाहिए । भूकंप मैनुअल और एन.बी.सी. के अनुसार पहचान किये गए नुकसान आशंकित ढांचों को सुदृढ़ीकरण और रेट्रोफिटिंग के लिए राज्य सरकारों द्वारा उचित कार्य लिए जाने चाहिए । नवाचारी निर्माण प्रौधोगिकियों का अध्ययन किया जाना चाहिए और उनको कार्यान्वित किया जाना चाहिए ।

क्षेत्र की भूगर्भीय आकृतियों को ध्यान में रखते हुए, यह देखा गया है हालांकि, चट्टानी रिज़ इस क्षेत्र का बहुत छोटा भाग है (जैसा कि मानचित्र 15.1 में सूचित है), फिर भी ये जल क्षेत्र को बांटने का काम निभाते हुए आस-पास के जलभृत की प्रतिपूर्ति करते हैं अतः, इनका परिरक्षण किया जाना चाहिए ।

vi) भूकंप: भागीदारी राज्यों द्वारा अपने उप-क्षेत्रों के लिए पहले से उपलब्ध आंकड़ों/सूचकांकों पर आधारित 1:1,00,000 और 1:1,50,000 के माप पर एक भूकंपीय सूक्ष्म-जोनेशन (माइक्रो-जोनेशन) तैयार करना चाहिए । उच्च वृद्धि वाले चूने गए क्षेत्रों/शहरों के लिए भूकंपीय सूक्ष्म-जोनेशन प्राथमिकता पर लिया जाना चाहिए ।

storage, retrieval and dissemination of information. The control rooms need to be modernized and made more effective and community friendly in the participating States.

Detailed database should be compiled on the occurrence of hazards, damage caused to buildings and infrastructure and the economic losses suffered by various government departments, public and private enterprises, agriculture and horticulture and the related infrastructure in the area. This information should be widely publicized to create awareness among public. District administration should be prepared for all eventualities in future.

Telecommunications in terms of disaster warning systems need to be provided for rapid dissemination of warnings to the designated addressees even at remote places in vernacular languages. Disaster warning sets may be located in the States and district level headquarters.

A complete techno-legal regime has to be proposed for amending the present building bye-laws to include safety aspects from natural hazard's point of view.

The relevant Town and Country Planning acts, Development and Municipal Acts of the participating States should be carefully examined and amendments be carried out to incorporate necessary provisions on safety aspects relating to natural hazards. Development Control Rules and Building Bye-laws applicable in the Sub-regions should be appropriately modified by the constituent States, having provisions on safety aspects relating to natural hazards and fire safety. All multi-storied and high-risk buildings [as defined by the Earthquake manuals and National Building Code (NBC)] should be established keeping in view their ability to withstand earthquake of the defined intensity.

The States need to take up review of relief manuals and scarcity preparedness guidelines to suit local needs and geo-climatic conditions.

Appropriate guidelines have to be developed to cover the aspects of land use zoning, hazard resistant building construction. Transfer of better technologies can be effected through building centers.

v) The participating States should undertake the vulnerability and risk assessment of their respective Sub-regions due to natural hazards and prepare Prevention cum Preparedness Plan as a part of Sub-regional Plan. Priority should be given to public buildings (such as hospitals, educational institutional, power stations, infrastructures, heritage monuments, life-line structures and those which are likely to attract large congregation) keeping in view their ability to withstand earthquake of the defined intensity. Suitable action should be taken by the State Governments for retrofitting and strengthening of structures identified as vulnerable as per earthquake manuals and NBC. Innovative construction technologies should be studied and implemented.

Keeping in view the geotectonic features of the region, it is observed that rocky ridges, although form a small part (as indicated in Map 15.1), yet act as water divides for recharging the aquifer of the surrounding areas and therefore, should be kept preserved.

vi) <u>Earthquake:</u> Seismic micro-zonation on a scale of 1:1,00,000 to 1:1,50,000 should be prepared by the participating States for their respective Sub-regions based on the already available data/indicators. Seismic micro-zonation for selected areas/towns, having high growth rates should be taken up on priority.

रोहतक जैसे कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं, जो स्थलाकृतिक के रूप से निचले और बाढ़ प्रभावित हैं, इसलिए इन क्षेत्रों में कोई भी विकास यह ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए कि यह भूकंपीय तीव्रता जोन भी है।

- vii) बाढ़: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के भिन्न क्षेत्र में, जहां 5, 10, 25, 50 और 100 वर्षों के बाद नदियों में बाढ़ संभाव्य है, क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय स्तरों पर भूमि उपयोग जोनिंग मानचित्र पर पहचान की जानी चाहिए । भागीदारी राज्यों को संबंधित उप-क्षेत्रों के लिए 0.3 से 0.5 मीटर के कंटूर अन्तराल पर 1:15,000 के माप पर विस्तृत कंटूर मानचित्र तैयार करना चाहिए और उन क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए जो बाढ़ प्रवृत्त हैं ।
- viii) तेज हवाएं: यह भी देखा गया है कि मरूस्थल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के दक्षिणी भाग में पूर्वी दिशा की ओर बढ़ रहा है । क्षेत्र के इस भाग में मरूस्थल का विस्तार रोकने के लिए उचित उपाय अपनाए जाने चाहिए ।
- ix) <u>अग्निः</u> बढ़ रहे नगरों का व्यापक ख़तरा मूल्यांकन प्राथमिकता पर किया जाना चाहिए जिससे नगरों में आग नुकसान आशंकित वाले क्षेत्रों की पहचान की जा सके और उपकरणों तथा कार्मिकों के उपलब्ध आकड़ों को संग्रहित कर और समय-समय पर इनका अद्यतन भी किया जाना चाहिए ।

अग्नि संकंटों की दृष्टि से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के शहरों और नगरों में क्षेत्रों को उच्च नुकसान की आशंका, मध्य नुकसान की आशंका और निम्न नुकसान की आशंका वाले क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाना चाहिए । शहरों/नगरों के मूल चिरित्र के अनुसार भिन्न क्षेत्रों के लिए अग्नि सुरक्षा उपायों को तैयार किया जाना चाहिए ।

राष्ट्रीय भवन-निर्माण कोड के भाग IV और अन्य संबंधित भारतीय मानकों में सुरक्षा विनियमन दिए गए हैं। भागीदारी राज्यों द्वारा विकास नियंत्रण नियम/अग्नि संकंटों को उपशमन करने के लिए उप-नियम बनाने के लिए इन्हें मार्गदर्शक के रूप में पालन किया जाना चाहिए।

अग्निशमन विभागों/प्राधिकरणों को प्रारंभ से ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की योजना बनाने के लिए सम्मिलित किया जाना चाहिए ताकि भिन्न भागीदारी राज्यों के बीच किये जाने वाले प्रयासों में समन्वयन हो सके। There are certain areas like Rohtak, which are topographically low and flood prone, as such any development in these areas should be taken up keeping in view that these are also seismically intense zones.

- vii) Flood: Different areas in NCR, which are liable to flooding in rivers of return period of 5, 10, 25, 50 and 100 years, need to be identified on map for land use zoning at regional and Sub-regional levels. Participating States should prepare detailed Contour Maps for their respective Sub-regions on a scale of 1:1,5000 at a contour interval of 0.3 to 0.5 metre and mark areas that are flood prone.
- viii) <u>High Winds:</u> It is also observed that desert is extending eastward in the southern part of NCR. Suitable measures should be adopted to arrest the tendency of desert extension in this part of the region.
- ix) <u>Fire:</u> Comprehensive risk evaluation of growing towns should be undertaken on priority in order to identify areas in each town vulnerable to fires and database in terms of available equipments and personnel should be compiled and periodically updated.

Areas in cities and towns in NCR may be classified as High Vulnerability, Moderate Vulnerability, and Low Vulnerability from fire hazard's point of view. Fire safety measures for different areas should be worked out as per the basic character of cities/towns.

Part IV of National Building Code and other related Indian Standards provide safety regulations. These should be followed by the participating States as guide for formulating Development Control Rules/bye-laws for mitigation of the fire hazard.

Fire departments/authorities should be involved in planning for NCR from the initial stage so that there is a coordinated effort among different participating States.